

Hari oic notesheet

5

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

// आदेश//

भोपाल, दिनांक 🛂/02/2016

क्रमांक-एफ-19-44/2016/स्था./19, राज्य शासन एतदद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, पन्ना को माना उच्च न्यायालय, जवलपुर के समक्ष दायर डब्ल्यू भी क्रमांक-19965/2015 द्वारा श्री अरूण कुमार पटेरिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में विणित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ रिथित में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- 1. प्रमारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की समावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- वह पत्र याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- 7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नहीं हों।

- 10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित / छुपा हुआ नहीं रह जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषिष करें।

मध्यप्रदेश के लज्या ल के नाम से तथा आदशनसार

अवर मधिव

मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 03/02/2016

पु.क.-एफ-19-**41**/2016/स्था./19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर।

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, म.प्र., भोषाल।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सागर-परिक्षेत्र-सागर।

5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, पन्ना को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्नेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।

6. कलेक्टर-पन्ना।

मध्यप्रदेश शास्त्र लोक निर्माण विभाग

Related Searches



Web Mail

Email Accounts

Windows Live Mail

Password Safe

Password Generator

Windows Mail

Create A Password

कार्यालय मुख्य उमियंता क्रोक निर्माण दिमान सागः परिशेत्र सानद २००० Emeal-gapydeasanSinta.nk in h Pax- 67583-220841

तागर वि 23·1·16

नक्षत होद्य

प्रति.

लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोतल

विषय - डब्ब्यू थी छ 19965/2015 अलग वालार कारिया विरुद्ध ग्रम शासन एवं जिल्हा रोटर्न - कार्यात्रय एडवोकेर अन्यत मा जयलपुर का यत्र दिशांक 6.2.2016

विश्वांतर्गत संस्थित प्रकरण में ही अकरण कुमार पटिरिया अस चाननीय उच्च स्थामासय जंबलपुर को समक्ष रिट विद्रोशन क 19965/2015 प्रश्तुरा किया है जिसमें शासन की ओर में जंगना क रखने एवं जबाबदांदा प्रस्तुत किये ततने ताली आवस्था कार्यवाई करना है। अतः प्रकरण में कार्रपाटन वंत्री लोगिडि संवाग धन्ता को प्रभाग अधिकारी नियुक्त करने का कार करें। साथि नियत तिकि में जबाबदावा नगरालयके समझ प्रस्तुत किया 🗷 सके :

लो.नि.पि.सागर परिवेत्र सामा

ृ ।इ परिलिधिः-

/ HAT / HILDE / 2015 /

1.इनुका अभियता तोनिति निर्माण भवन गोपाउ की जोर सूचनार्थ सम्प्रे**स्त** । 2 कार्यरालम मंत्री लो.नि.वि संमाग पन्ना की ओर लेख है कि कृपवा आप स्वंद व्यक्तिमन कप से औ.आई.सी नियुक्त हेतु कार्यवाली की जाकर जनार नाम प्रसुत्त करने की कार्यवाली

ले.नि.चि लागर परिक्षेत्र सामर

cu - 118 -

•	•	-	
			_
			-

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004



// आदेश//

भोपाल, दिनांक /02/2016

क्रमांक-एफ-19- /2016/स्था./19, राज्य शासन एतदद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के उल्ले प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, पञ्च कि मान० च्च न्यायालय, जबलपुर अधिक्ये प्री. क्रमांक-19965/2015 द्वारा श्री अरूण कुमार पटेरिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के तथ में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और एपसजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य वातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शांसकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संमावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसो प्रक्रम पर िंग्ने विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में ब्रिनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को ैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिण्डिक को सहायता पहुंचाने की संभावना है. रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से रूपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखि । कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित काग्रजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपार्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- 7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्त का सहयोग करना दाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया ऋयप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए अस विभाग को भेजें।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां 'तप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देनें में सम्मा नष्ट नहीं हों।

- 10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार जीप देने के पण्तात् भी जबिक प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवाना को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य , स्तावेज अप्रकाशित / छुपा हुआ नहीं रह जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के मा 'म से सरकार को टेगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
 - 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन, मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जेहां किसी बाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव दे इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सुनील मड़ावी) अवर सचिव भ्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग भोपाल, दिनांक /02/2016

पु.क्र.-एफ-19- /2016/स्था./19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1 डिप्टी रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय, जबलपुर।

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, ग.प्र., भोपाल।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सागर-परिक्षेत्र- ागर।

5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, धन्ना को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।

कलेक्टर-पन्ना।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग